न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती प्रीति सिंह पंवार, (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 69 / 2017 राजस्व वाद

उनवान

1. श्रीमती लादी बाई पत्नी राजु गुर्जर पुत्री धूकल गुर्जर उम्र 61 वर्ष निवासी दूदला हाल गुन्दली तहसील व जिला भीलवाडा

—— (वादीया)

बनाम

1 मु. फेफी पत्नी छोगा गुर्जर उम्र 75 वर्ष निवासी तुलछा खेडा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा राज.
2 श्रीमती देऊ पत्नी रामचन्द्र गुर्जर उम्र 40 वर्ष निवासी तुलछा खेडा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा राज.
3 श्रीमती लाडू बाई पत्नी ज्वारा उर्फ जवाहर पुत्री धूकल गुर्जर उम्र 65 वर्ष निवासी दूदला हाल कुंवार तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज.
4 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
5 उपपंज़ीयक, पंजीयन कार्यालय, बनेडा जिला भीलवाडा (राज)

——(प्रतिवादी गण)

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 188 आर0टी0ए0
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं 151 जा.दी.

उपस्थित –
1. श्री जगदीश चन्द्र दाधीच (अधिवक्ता वादीया)
2. श्री महेश जोशी ..... (अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 01, 02)

दिनांक– 13.08.2019

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा विपक्षीसंख्या 01 व 02 की और से प्रस्तुत एक प्रार्थनापत्र दिनांक 31.01.2018 अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पर जवाब प्रार्थनापत्र 15.02.2018 प्राप्त किया जाकर, प्रार्थनापत्र पर बहस उभयपक्ष दिनांक 11.07.2019 को सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रतिवादी ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीया का वादपत्र प्रारंभिक आपत्तियों के आधार पर मेन्टेनेबल न होकर काबिले खारिजी के है। वादीया ने यह वादपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 40 एंव हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 08 के तहत वादग्रस्त आराजीयात में अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा अनुतोष चाहने आशय से से प्रस्तुत किया है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 40 के तहत निर्वसीयती अभिधारी के निधन के समय लागू उसकी स्वीय् विधि के अनुसार उसका हित उत्तराधिकारीयों में निहित होगा। इस प्रकार हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 08 के तहत निर्वसीयती हिन्दु पुरूष के निधन पर प्रथमतः वर्ग 1 में वर्णित वारिसान उत्तराधिकार प्राप्त करेगें। विधि के प्रतिपादित

सिद्धान्त वादीया के पक्ष में लागू नही होते है, क्यों कि वादीया के पिता का देहान्त सन् 1955 में ही हो चुका था, जबकि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 प्रथम बार 17 जून 1956 को लागू हुआ, जिसमें वर्ग प्रथम में वर्णित उत्तराधिकारियों जिसमें पुत्रीयां भी शामिल है, को उत्तराधिकार के अधिकार दिये गए। किन्तु इससे पूर्व में पुत्रीयों को अपने पिता की सम्पति में पुरूष विधिक वारिस जीवित रहते हक आधिपत्य प्राप्त करने का कानूनन अधिकार नही था। वादीया के पिता स्व. धुकल पिता कालु गुर्जर की मृत्युपरान्त विरासत से खुला नामान्तरकरण हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 24.12.1955 को फैसल कर अभिलिखत किया गया, जबकि वादीया के पिंता का देहान्त करीब एक माह पूर्व हुआ था। इस प्रकार स्पष्ट है कि वादीया के पिता का निधन इस अधिनियम लागू होने से पूर्व ही हो गया था, जिससे वादीया इस अधिनियम के तहत उत्तराधिकार प्राप्त करने की अधिकारिणी नही है। इन कथनों के अतिरिक्त प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने वादपत्र के खण्डन में एक तर्क यह दिया कि यह वादपत्र न्यायालय श्रीमान में दिनांक 29.11.2017 को प्रस्तुत किया गया है एंव वाद प्रस्तुतिकरण सें पूर्व ही प्रतिवादीया क्रम 01 व 02 के द्वारा वादग्रस्त आराजीयात में से कुछ हिस्सा दिनांकित 01.09.2017 जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख मु. रूकमा देवी पत्नि अमरचन्द तेली निवासी दुदला को बैचान कर मौके पर हक आधिपत्य सिपुर्द कर दिया गया है, तथा अवशेष रही आराजीयात विपक्षी संख्या 01 ने विपक्षी संख्या 02 के पक्ष में जरिये पंजीकृत बक्शीष नामा अंतरण कर दी गई है। ऐसी स्थिति में विपक्षी संख्या 01 के पक्ष आ रही यह विवादित मौरूशी सम्पती वाद प्रस्तुतकरण से पूर्व ही अन्तरित हो चुकि है। एंव इस वादग्रस्त आराजीयात के सद्भाविक क्रेता मु. रूकमा देवी पत्नि अमरचन्द तेली निवासी दुदला जिसे वादीया द्वारा इस दोषयुक्त वादपत्र में बतौर पक्षकार संस्थित नही कर, त्रूटीपूर्ण वादपत्र प्रस्तुत कराया है, जो कत्ई न्यायालय श्रीमान में चलने योग्य नही होकर, वादपत्र काबिले खारिजी योग्य है। अतः प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी स्वीकार किया जाकर वादीया का वाद पत्र मेन्टेनबल नहीं होने से खारिज फरमाया जावें।

वादी अधिवक्ता द्वारा अपने प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी. पी.सी में इंगित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया खारिज किया जाकर प्रकरण को आगामी प्रक्रम पर नियत किया जावें। बहस के दौरान वादीया अधिवक्ता ने अपने तर्को से अवगत कराया कि वादीया ने प्रार्थी के प्रार्थनापत्र का आदेश 07 नियम 11 के अन्तर्गत प्रावधानो में नही आता है। धारा 40 रा.का.अधिनियम में वर्णित प्रावधांन दिनांक दायरी वाद व कारणवाद की दिनांक को प्रभावी है तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान भी दिनांक दायरी वाद व कारणवाद की दिनांक को प्रभावी है। वादीया के पिता स्व. श्री धुकल गुर्जर का देहावसान कब व किस वर्ष हुआ है यह साक्ष्य का विषय है तथा साक्ष्य के विषय को इस प्रार्थनापत्र के अधीन विनिश्चिय नही किया जा सकता है। इस प्रार्थनापत्र के विनिश्चिय के समय केवल मात्र वाद पत्र में संभाव्य तौर हुई भूल यानि अप्रर्याप्त स्टाम्प शुल्क, वादपत्र का हेतुक प्रकट नही होना, क्षैत्राधिकार की परिधी में नही आना आदि तथ्यों पर विचार किया जा सकेगा। एंव इस तथाकथित नामान्तरकरण में वर्णित रिपोर्ट रेकार्ड ऑफ राईट की परिभाषा में नही आती है।

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भील.)

एंव उक्त फैसलशुदा नामान्तरकरण रिपोर्ट खण्डनीय प्रकृति की है, जिससे किसी के हक अधिकारों का निर्धारण नही किया जा सकेगा। एंव जिन प्रावधानों का उल्लेख प्रतिवादीगण ने जरिये अपने प्रार्थनापत्र के किया है इन प्राव्रधानों का वक्त वाद प्रस्तुतिकरण प्रभावी होना आवश्यक है।

वादीया ने अपने पिता की मौरूशी जायदाद में अपना हक हिस्सा चाहने अनुतोष से यह वाद प्रस्तुत किया है, यदि वादीया विधिक जाईन्दा पुत्री होना व सम्पति पिता की होना साबित कर देती है तो उस दशा में संव्यवहार यानि तथा कथित रजिस्टर्ड बैचान अवैध एंव शुन्य प्रभावी हो जायेगें। क्यों कि उक्त संव्यवहार ऐसे व्यक्ति द्वारा सम्पादित किये गये है, जिसका न तो जायदाद में कोई हक व अधिकार ही प्राप्त था और न ही कब्जा काश्त था। पंजीकृत दस्तावेज यदि किसी राह चलते व बिना जायदाद के स्वामी द्वारा निष्पादित किया जाता है तो वह दस्तावेज. विधि अनुसार प्रारम्भतः शुन्य प्रभावी है। अतः प्रार्थी/प्रतिवादी के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. के अधीन किसी प्रावधानो का वर्णन नही होंने से प्रतिवादी का प्रार्थनापत्र कानूनन काबिल निरस्तगी के है।

उभयपक्षों ने बहस में अपने अपने अभिवचनों को दोहराते हुए उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र/जवाब को स्वीकार करने का निवेदन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी व ज़वाब प्रार्थना पत्र के साथ पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन व मनन किया तथा वकुलाय फरिकेन द्वारा प्रस्तुत बहस पर गौर किया। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 40 के तहत निर्वसीयती अभिधारी के निधन के समय लागू उसकी स्वीय् विधि के अनुसार उसका हित उत्तराधिकारीयों में निहित होगा। इस प्रकार हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 08 के तहत निर्वसीयती हिन्दु पुरूष के निधन पर प्रथमतः वर्ग 1 में वर्णित वारिसान उत्तराधिकार प्राप्त करेगें। विधि के प्रतिपादित सिद्धान्त वादीया के पक्ष में लागू इसलिए नही होते है, क्यों कि वादीया के पिता का देहान्त सन् 1955 में ही हो चुका था, जबकि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 प्रथम बार 17 जून 1956 को लागू हुआ, जिसमें वर्ग प्रथम में वर्णित उत्तराधिकारियों जिसमें पुत्रीयां भी शामिल है, को उत्तराधिकार के अधिकार दिये गए। किन्तु इससे पूर्व में पुत्रीयों को अपने पिता की सम्पति में पुरूष विधिक वारिस जीवित रहते हक आधिपत्य प्राप्त करने का कानूनन अधिकार नही था। वादीया के पिता स्व. धुकल पिता कालु गुर्जर की मृत्युपरान्त विरासत से खुला नामान्तरकरण हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 24.12.1955 को फैसल कर अभिलिखत किया गया, जबकि वादीया के पिता का देहान्त करीब एक माह पूर्व हुआ था। यद्पि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में हुए संशोधन पश्चात पुत्री चाहें अविवाहित हो अथवा शादीशुदा, वह अपने पिता की संपति में हिस्सेदार मानी जाएगी। इतना ही नही उसे पिता की सम्पति का प्रबन्धक भी बनाया जा सकता है। इस संशोधन के तहत पुत्रियों को वही अधिकार दिऐ गए, जो पहले बेटों तक सिमित थें। हांलाकि पुत्रियों को इस संशोधन का लाभ तभी मिलेगा, जब उनके पिता का निधन इस सिद्धान्त में दुरूस्तीकरण के पश्चात हुआ हों। इन तर्कों के अतिरिक्त प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने वादपत्र के खण्डन में एक तर्क यह भी दिया कि यह वादपत्र न्यायालय श्रीमान में दिनांक 29.11.2017 को प्रस्तुत किया गया है एंव वाद प्रस्तुतिकरण सें पूर्व ही प्रतिवादीया क्रम 01 व 02 के द्वारा वादग्रस्त आराजीयात में से कुछ

हिस्सा दिनांकित 01.09.2017 जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख मु. रूकमा देवी पत्नि अमरचन्द तेली निवासी दुदला को बैचान कर मौके पर हक आधिपत्य सिपुर्द कर दिया गया है, तथा अवशेष रही आराजीयात विपक्षी संख्या 01 ने विपक्षी संख्या 02 के पक्ष में जरिये पंजीकृत बक्शीष नामा अंतरण कर दी गई है। ऐसी स्थिति में विपक्षी संख्या 01 के पक्ष आ रही यह विवादित मौरूशी सम्पती वाद प्रस्तुतकरण से पूर्व ही अन्तरित हो चुकी है, एंव इस वादग्रस्त आराजीयात के सद्भाविक क्रेता मु. रूकमा देवी पत्नि अमरचन्द तेली निवासी दुदला जिसे वादीया द्वारा इस दोषयुक्त वादपत्र में बतौर पक्षकार संस्थित नही कर, त्रूटीपूर्ण वादपत्र प्रस्तुत कराया है। इसके विपरीत इन तथ्यों पर वादीया अधिवक्ता के द्वारा दौराने बहस प्रतिरोध में अपने तर्को से कोई ठोस खण्डन के रूप में ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य अपने जवाब प्रार्थनापत्र के समर्थन में प्रस्तुत नहीं कराया है, जिसके आधार पर यह प्रमाणित होता हो कि वास्तव में वादपत्र पोषणीय होकर चलने योग्य है।

—:: आदेश ::—

प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी स्वीका किया जाकर वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र संख्या 69/2017 आधारहीन व झुठे तथ्यो प आधारित प्रस्तुत हुआ माना जाकर पोषणीय नहीं होने से खारीज किये जाने के आदेश पारि किये जाते है। पक्षकार खर्चा अपना अपना स्वंय वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी व गयी।

(प्रीति सिंह पंवार)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा जिला भीलवा
बनेड़ा (भील)